रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 1986/अग्रहायण 5, 1908
No. 547] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 26, 1986/AGRAHAYANA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1986

सं. 468/86—सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 1226 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 252/82—सीमाशुल्क, तारीख 16 नवम्बर, 1982 को अधिक्रांत करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और सीमा-

शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 74 के अन्तर्गत आने वाले माल को, जब उनका भारत में आयात किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उस भाग को जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतनी रकम से छूट देती है जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है ।

सारणी

क्रम सं.	माल का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	तांबा मेट और प्रधान मिश्र धातु	60 प्रतिशत
2.	अनगढ़ा तांबा (परिष्कृत या अपरिष्कृत)	95 प्रतिशत
3.	अपशिष्ट और रद्दी तांबा	85 प्रतिशत
4.	तांबे की गढ़ी शलाकाएं कोण, आकृतियां और सैक्शन	80 प्रतिशत
5.	तांबे की तारें	70 प्रतिशत
6.	तांबे की छड़ें	75 प्रतिशत
7.	तांबे की गढ़ी पट्टिकाएं, चादर, पत्तियां और पर्णी	80 प्रतिशत
8.	तांबे की ट्यूब और पाइप और उसके लिए पत्तर, तांबे की खोखली छड़ें, तांबे की ट्यूब और पाइप फिटिंग (उदाहरणार्थ ज्वाइंट एल्बो, साकेट और फ्लेज)	80 प्रतिशत
9.	तांबे की अन्य वस्तुएं जिनके अन्तर्गत लोहे या स्टील की कीलें, कालिकाएं, स्टैपल अंकुश कीलें कंटेदार कैप, बटन कांटे और आरेखण पिनें हैं जिनके गोर्ष तांबे के हों।	80 प्रतिशत

[फा. सं. 354/45/86—टी आर यू.]

गौतम रे, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 1986

No. 468/86-CUSTOMS

G.S.R. 1225 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 252/82-Customs, dated the 16th November, 1982, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling within Chapter 74 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1974 (51 of 1975) when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S.No.	Description of goods	Rate of duty
1	2	3
1.	Copper matte and master alloys	60%
2.	Unwrought copper (refined or not)	95%
3.	Copper waste and scrap	85%
4.	Wrought bars, angles, shapes and sections, of copper	80%
5.	Copper wires	70%
6.	Copper rods	75%
7.	Wrought plates, sheets, strip and foil, of copper	80%
8.	Tubes and pipes and blanks therefor, of copper; hollow bars of copper; tube and pipe fittings (for example, joints, elbows, sockets and flanges), of copper.	80%
9.	Other articles of copper including nails, tacks, staples, hooknails, spiked cramps, studs, spikes and drawing pins of iron or steel with heads of copper.	80%

[F. No. 354/45/86-TRU]

GAUTAM RAY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986